[Shri R. R. Morarka]

The question is :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited, with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members namely :—

1. Shri R.R. Morarka
2. Shri Biswa Goswami
3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
4. Shri Suraj Prasad
5. Prof. Sourendra Bhattacharjee
6. Shri G. C. Bhattacharya
7. Shri Nepaldev Bhattacharya
8. Shri Dipen Ghosh
9. Shri Rameshwar Singh
10. Shri Hukmdeo Narayan Yadav
11. Shri Hari Shankar Bhabhra
12. Shri R. Ramakrishnan
13. Shri Kalraj Mishra
14. Shrimati Mohinder Kaur
15. Shri Shiva Chandra Jha

With instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA) : Now, I will put the motion of the hon. Minister to vote. The question is :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited, with a view to securing the proper managment of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 32 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI K. P. SINGH DEO : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 1982

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

As the hon Members are already aware, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, was enacted to provide for levy and collection of a cess on Limestone and dolomite for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines. The Act and the Rules of 1973 framed thereunder were brought into force with effect from the 1st December, 1973. The rate of cess leviable under the Act has been fixed under the rules at 20 paise per metric tonne of limstone and dolomite covered under the Act.

Since the inception of the Fund till the end of the financial year 1980-81, over Rs 4 crores have been collected by way of cess, out of which over Rs. 2.3 crores have been spent on various welfare measures contemplated under the Act for the limestone and dolomite mine workers. A total of 49,752 limestone and 7,527 dolomite mine workers employed in these mines are thus covered under this Act.

Besides limestone, there are other calcareous deposits viz. limeshell, calcareous sand and sea-sand essentially composed of limeshell, marl, kankar or limekankar. These are similar in chemical composition to limestone and are also used in the cement factories. Such mineral deposits should generally have been treated as limestone and covered under the Act but could not be covered under the Act in the absence of the definition of the limestone in the parent Act. The number of workers reported to be engaged in the mining of the calcareous sand, lime kankar, kankar and limeshell during 1980 was 4,978 and the total production 19,48,000 tonnes during 1980. Consumption of these minerals in cement factories was reported to be 10,43,714 tonnes. The production of marl has not ben reported.

The intention in defining limestone is, therefore, to levy and collect cess on the comsumption of these minerals as well which is expected to be around Rs. 2 lakhs per annum, and to provide the same welfare facilites to these about 5,000 workers who have been denied the welfare amenities due to them, only due to this technical lacuna. The cess will, however, be levied on the consumption/sale/disposal of these minerals after this amended Act is brought into force.

The act has been administered on the basic promise that the duty is leviable, under section 3 of the principal Act, not only when the owner of limestone or dolomite uses the limestone or dolomite for the manufacture of cement, iron or steel but also when he uses it for other industrial purposes. Such an intention has been challenged by the concerned parties. Recently in an appeal under the rules made under the Act, the view has been taken that an owner of limestone and dolomite mine who uses the limestone or dolomite produced in his mine, for purposes other than the manufacture of cement, iron or steel, is not liable to the payment of cess under the Act. Consequently about Rs. 9 lakhs which have been levied on chemical factories, for the purpose, could not be collected. Also if such a view is accepted, the Government will have to not only refund the cess collected earlier but also incur recurring loss of about Rs. 5·75 lakhs per annum.

The intention in amending Sections 3 and 4 of the Act is, therefore, to explicitly bring out our intention, to put all the disputes at rest and the intention of the validation clause is to enable the Government to validate the cess levied and collected and also to collect the cess levied but not collected due to the legal disputes as aforesaid.

[Shri Dharmavir]

The other amendments proposed in the Bill are of minor nature. The Advisory Committees under the Act may at times feel the need to co-opt the members, to ensure that the various concerns are represented in these committees and may also like to have expert advice. To meet such eventualities the Bill intends to empower the committees to co-opt members.

The powers of inspection of the factories and mines can, at present, be exercised only by inspection by welfare Administrators. The Welfare Commissioners who rank above the Welfare Administrators are also to be conferred with such powers.

Similarly to keep a track of disposal of the minerals, the statistical details require to be collected not only from the mine-owners/occupiers of factories, but also from the purchasing agents and stockists. This will ensure strict vigilance over cess collections.

I do not think that there is anything else relating to this Bill which requires explanation or specific comment. The matter, as the House will see, is urgent. Therefore, I am keen that this Bill be put on the Statute Book as early as possible.

With these words I beg to move that the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare (Amendment) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration and passed.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): There is one amendment in the name of Shri Shiva Chandra Jha.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar). Sir, I move :

> "That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—
>
> 1. Shri R.R. Morarka
> 2. Shri Biswa Goswami
> 3. Shri R. Ramakrishnan
> 4. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
> 5. Shri Nepaldev Bhattacharya
> 6. Shri Dipen Ghosh
> 7. Shri Suraj Prasad
> 8. Shri G.C. Bhattacharya
> 9. Prof. Sourendra Bhattacharjee
> 10. Shri Rameshwar Singh
> 11. Shri Hukmdeo Narayan Yadav
> 12. Shri Hari Shankar Bhabra
> 13. Shri Kalraj Mishra
> 14. Shrimati Mohinder Kaur
> 15. Shri Shiva Chandra Jha
>
> with instructions to report by the first week of the next session."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The motion for consideration of the Bill and the amendment moved by Shri Shiva Chandra Jha are open for discussion. Shri Joseph.

*SHRI O.J. JOSEPH (Kerala): Mr. Vice-Chairman Sir, I welcome this Bill. this Bill seeks to bring about 5000 workers under the purview of the welfare scheme envisaged in the Bill. While welcoming the Bill I want to point out that the employers have been exempted from thier responsibility for extending the benefit sought to be

---

*English translation of the original speech delivered in Malayalam.

provided to the employees under this Bill. This is the most regretable draw back of this Bill.

Normally in the matter of employer--employee relationship if any difficulty arises for the employees, it is the duty of the management to take their share of the burden. But here we find that the Management of the mines have no responsibility. The contractors are also free of any responsibilities. On the other hand the factories consuming the limestone and dolomite have to pay a cess. That means the management does not have to bear any burden. The Government also does not have to pay anything. The consumers, that means the common people, have to bear the whole burden. Other categories or workers have the benefit of E.S.I. an other kinds of benefits. But these workers have no such benefits and this welfare scheme is now prposed to be laucnhed at the cost of the public and the employers have been fully exempted from all their obligations. This is the first draw back.

Another drawback in this Bill is that most of the workers engaged in this industry are contract workers and temporary employees. They are not getting any benefit As long as the temporary employees. are not regularised and the contract system not terminated this category of employees will not get any benefit. Therefore, although the intention behind this legislation is laudable I am afraid that it will not serve the prpose for which it is enacted.

Another thing I want to point out is about the Welfare Fund Committee. The earlier Committee held its last meeting in 2nd January last after the lapse of 8 years. This Committee is a nominated Committee in which the workers or their organisations have no representation. Sir, they are meeting after eight years. Why should there be a Committee like that? I fail to understand. If it is to give any benefit to the workers, then their organisation should have representation in such Committees. This Bill also provides for nomination of one or two members as they like. Sir, it is a nominated Committee. This system does not inspire the confidence of workers in this Committee.

Thirdly how much is being levied for this Welfare Fund ? Just twenty paise per ton. Sir, the cost of the products of the mines has gone up more ten times alter 1971. Therefore, when the inflation has become so acute, if the cess is collected at the rate of 20 paise per ton, can all the problems of the workers be solved? I have no such illusion. But the Government might say that they had collected Rs. 4 crores and out of which only Rs. 2 crores have been spent and Rs. 2 crores are left with them. Then I would like to ask them that although the Government had spent about Rs. 90 lakhs last year, how many employees have benefited out of it. It is a common practice for the Government to claim that so much amount has been spent but they often fail to say how many people have been benefited and how much.

Sir, in my State five Block Development Officials have been suspended recently. They had sent false reports about developmental activities. All the developments were on papers only. It was merely a false report. Therefore, simply by claiming that so much amount has been spent the workers are not going to benefit.

Sir, if you go to labour centres you will be told that common facilities and recreation centres are being set up for workers. But actually what you will find is

[Seri O. J. Joseph]

that these facilities are being misused by officials for gambling and other such purposes. You will find that the workers have no place there. How many houses have been built for them? What facilities have been created for them? How many people have lost their limbs? How many been provided with artificial limbs? How many persons have been provided medical facilities and compensation? What facilities have been provided for the education of their children? Sir, if you go to coal mines you can find that there are schools for the children. But there are no teachers there. If money is to be spent for such schools out of the Welfare Fund that would mean clossal wastage of money collected from the people to be misused by the management. And the Committee which is supposed to look into all these things meets once in eight years! That Committee is a nominated Committee. Therefore, this kind of a Welfare Fund is in effect nothing more than an eye wash.

Now, Sir, there will be not only Welfare Administrators but there will be Welfare Commissioners also. Thus we can find that money collected by way of cess will be ultimately misused by the top bureacuracy. The workers are certainly not going to benefit from this scheme. If that object is to be achieved the contract system should be terminated, the workers should be given representation, the Welfare Fund Committee should meet regularly. Administration charges be met by the Government. Therefore, if these objectives are to be achieved the cess should be raised from 20 paise to at least one rupee per ton. Then only sufficient fund can be collected and any worth while welfare measures can be implemented. I welcome the idea for a Welfare Fund in principle. There is a fund in certain industries to which the employees and the employers contribute. But here in this case the management is free from such obligations.

Another thing I would like to say is that there are thousands of lime-shell workers in my State. The Kottayam Cement factory are working with the lime shells collected from the Kayal waters. I want to invite the attention of the Government to this problem also. I demand that these workers also should be brought under the purview of this Bill.

Therefore, I request the Government to make necessary changes in the provision regarding the Welfare Schemes, and to give the workers their due representation in the Committee Sir with these words I support this Bill.

Thank you.

श्री रामानन्द यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

यह जो ओरिजनल बिल था उसमें कुछ लूपहोल्स थे, कुछ खराबियां थीं। उनको प्लग करने के ख्याल से यह अमेंडमेन्ट बिल लाया गया है और यह एक सराहनीय कदम है । इस अमेंडिंग बिल के लाने से करीब 5 हजार वर्कर्स को लाभ पहुंचेगा जो कि अभी तक पुराने कानून के अन्दर यह लाभ नहीं उठा रहे थे ।

श्रीमन्, डोलोमाइट माइन्स में करीब 50 हजार वर्कर्स काम करते हैं । हमारे राज्य में भी सिंहभूमि जिले में ये माइन्स हैं और इन माइन्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हालत बड़ी ही खराब है। एक तो कांट्रेक्टर लेबर पर अधिकांश लोग काम करते हैं, तो जब तक कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम अबोलिश नहीं होगा तब तक सही रूप में इन माइंस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा मैं तो चाहता था कि सरकार इस तरह या प्राविजन लाती जिसमें यह बाध्यता करती कि जो माइन आनर्स हैं, वह कांट्रेक्ट

लेबर से काम न लेकर परमानेंट लेबर रखें । लेकिन यह चीज नहीं की गई है ।

अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी ने अभी बताया कि हर साल कितना प्रोडक्शन इसमें होता है, इसका यूज कहां कहां पर होता है । इसमें एक बात देखने की है कि जितनी सुविधायें अन्य माईन्स में हैं, जैसे आयरन और माइंस है, उनमें काम करने वाले मजूदरों को जो सुविधायें मिलती हैं वह सुविधा इन माइंस में काम करने वालों को नहीं मिल पाती । तो इस बिल से कुछ सुविधाएं इन लोगों को मिलेंगी । फिर भी जितनी सुविधाएं दूसरी माइंस जैसे आयरन और कोल माइंस के मजदूरों को मिलती हैं चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सैक्टर में, वह सारी सुविधाएं इस बिल के पास हो जाने के बाद भी इसमें काम करने वाले 50 हजार मजदूरों को प्राप्त नहीं होंगी । मैं चाहता था कि सरकार इस बात पर विचार करती और उन माइंस में काम करने वालों के समकक्ष इन माइंस में काम करने वालों को भी फायदा पहुंचाती । आरीजनल बिल में यह प्रोविजन था कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता था । यह जांच करता था और वही रिपोर्ट देता था । यह प्रोविजन इंस्पेक्टर को पावर अब वैलफेयर कमिशनर जो होगा उसके पास होगी । पहले इंस्पेक्टर को यह पावर थी लेकिन अब इस बिल के द्वारा वैलफेयर कमिशनर को यह पावर दी गई है । यह अच्छी बात है क्योंकि जो इंस्पेक्टर होता था उनको वक्त नहीं होता था । वह इजिली परचेजेबल हो जाता था माइंस आनर्स के द्वारा । इसके द्वारा जो वैलफेयर आफिसर, कमिश्नर होगा शायद वह ईमानदारी बरते । ईमानदारी बरत कर कुछ कर सके और इन चीजों पर कंट्रोल कर सके । यह भी बिल में प्रोविजन है कि कमिशनर नोमिनेशन करेंगे कमेटियों में जिनका रिप्रजेन्टेशन इन कमैटियों में नहीं है । हमारे अपोजिशन के एक भाई जोसेफ साहब ने ठीक ही कहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी वह पांच-सात वर्षों तक बैठी ही नहीं । जो कमेटी बनी थी और बैठी नहीं तो उसका क्या यूज है । बिल में यह प्रोविजन होना चाहिये कि कमेटी निश्चित रूप से इतने

4 P.M.

दिनों के अंदर बैठे - यानी वर्ष में दो या तीन बार अवश्य बैठे । जो 5-6 वर्ष तक कमेटी न बैठती हो वह क्या जिम्मेदारी निभायेगी, क्या मजदूरों की देखभाल करेगी ? क्या उनका चिंतन करेगी, क्या सोचेगी उनके बारे में ? इन सब बातों पर मंत्री जी को सोचना चाहिये कि इस कमेटी को कैसे कुछ एक्टोवाइज किया जाए ? क्या कोई लेजिस्लेटिव मैजर्स का इस बिल में प्रोविजन करके इस कमेटी को एक्टीवाइज किया जा सकता है ? फिर भी मैं कहता हूं कि यह जो अमेंडमेंट आ रहा है इसमें भी मजदूरों का रिप्रजेन्टेशन अनिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है हो सकता है यह कह दिया जाए कि सभी इंटरेस्ट मजदूरों का है । वैलफेयर कमिशनर जो होगा वह इन सभी के इंटरेस्ट के लिये है । फिर वे काम भी तो करती है इसमें । सभी के इंटरेस्ट के नाम पर केवल खास-खास पूंजीपतियों का रिप्रेजेन्टेशन या सरकारी लोगों के नुमाइन्दे इसमें न रखे जायें । इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । जो मजदूरों के लोग हैं उनमें से भी इस कमेटी में रखा जाए । यह बड़ी अच्छी बात है कि स्टेटसटीकल डिटेल में भी चीजें बेची जाती हैं, और जो परचेज एजेंटस होते हैं उनका एकाउंट भी वैरीफाई हो सकेगा । पहले उनके वैरीफाई करने की चैक करने की पावर नहीं थी लेकिन आज इस बिल के पास हो जाने से परचेज एजेन्टस तक स्टाकिस्ट्स या कमिश्नर पहूंच सकेंगे और यह देखेंगे कि कितना माल बेचा गया है और कितना और सेल हो सकता है । यह बड़ी अच्छी बात है । दूसरे यह कहना चाहता हूं कि यह जो पैसा सैस से वसूल होता है अधिकांशतः देखा जाता है कि कमेटी की मीटिंग होती है उनके मेम्बरों के आने-जाने या उनके ऊपर ही विशेषतः सारा खर्च हो जाता है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात पर विचार करें और देखें कि कमेटी का निर्माण ऐसा करें कि इस बात की देखभाल करें कि सैस से जो कलेक्शन होती है उसका प्रोपर यूटीलाइजेशन मजदूरों पर ही हो । क्योंकि ऐसा देखा जाता है, अनेक केसों में देखा है कि अफसर लोग, वैलफेयर आफिसर लोग कमेटी के अफसर लोग पैसा खा

[श्री रामानन्द यादव]

गये और उनके ऊपर केस चला । वे दिल्ली तक दौड़ आये । उनका प्रोसिक्यूशन हुआ । इस तरह की बातें होती हैं । इस बात को रोकने के ख्याल से सरकार को निश्चित रूप से कोई प्रावधान करना चाहिए ताकि सैस से पैसे का जो कोलेक्शन होता है वह निश्चित रूप से मजदूरों के वैलफेयर पर ही खर्च हो सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल फसीलिटी जो है वह पर्याप्त रूप से उनको नहीं मिल रही है खासकर माइंस में काम करने वाले लोगों की । इस माइंस में विशेषतः लोग टी. बी. और कैंसर और गैस्ट्रिक ट्रबल से पीड़ित हो जाते हैं । चूंकि इन खानों में धूल बहुत होती है, इसलिए ये लोग टी. बी. और कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं । अभी स्थिति यह है कि 25 परसेन्ट मजदूर इन बीमारियों से ग्रस्त हैं । इन बीमारियों से मजदूरों की रक्षा करने के लिए माइन ओनर्स की तरफ से जो प्रबन्ध किया जाना चाहिए वह नहीं किया जाता है । यह प्रावधान है कि उनको इनहेलर दिये जाने चाहिए ताकि वे उनको पहन कर काम करें, लेकिन इनहेलर नहीं दिये जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । ओरिजनल बिल में यह प्रावधान है कि इनहेलर दिये जायें, लेकिन माइन ओनर्स की तरफ से इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है । मैं चाहता हूं कि मिल औनर्स की तरफ से या तो इनहेलर दिये जाने चाहिए या कोई दूसरे इक्वीपमेन्ट दिये जाने चाहिए जिसमें धूल उन लोगों के फेफड़ों में नहीं पहुंच सके । सरकार भी इस प्रकार का प्रबन्ध करे कि मजदूरों को इस प्रकार के इक्वीपमेन्ट दिये जायें जिससे मजदूर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें ।

जहां तक वर्कर्स के लिए दूसरी फैसिलिटीज का सवाल है, उनके लिए हाउसिंग का सवाल है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करने का सवाल है, ड्रिकिंग वाटर का सवाल है, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करने का सवाल है, इनका इंतजाम ठीक प्रकार से नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से होनी चाहिए । हमारे देश में जो आर्गनिइज्ड सैक्टर है उनमें तो ट्रेड यूनियन्स होती हैं, लेकिन जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है उनमें कोई यूनियन नहीं होती है । ट्रेड यूनियन वहां बनती है जहां पर संख्या ज्यादा होती है । ये लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों में फैले हुए हैं । कुछ बिहार में हैं, कुछ दूसरे प्रान्तों में हैं । डोलामाइट खानों में इस प्रकार की यूनियन्स नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार को इन मजदूरों को आर्गेनाइज्ड करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और इसमें उन्हें मदद करनी चाहिए । सरकार इसमें उनकी किस प्रकार से मदद कर सकती है, यह सरकार खुद सोच सकती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक एकाउटिंग का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो सैस लगाया जाता है इसका ठीक प्रकार से एकाउटिंग होता है या नहीं क्योंकि देखने में यह आता है कि जिस काम के लिए यह रूपया खर्च किया जाना चाहिए उस काम पर खर्च नहीं किया जाता है । खास तौर पर बिहार राज्य के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर यह रूपया किस तरह से खर्च किया जाता है । अभी देखने में यह आता है कि सारा पैसा अफसर लोग खा जाते हैं । जो पैसा मजदूरों की भलाई के कामों में खर्च किया जाना चाहिए वह उसमें खर्च नहीं किया जाता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई ठोस व्यवस्था करे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि डोलामाइट खानों में 50 हजार मजदूर काम करते हैं । इस बिल के पास हो जाने से निश्चित रूप से इन 50 हजार मजदूरों को फायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार यह लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन्स लेबर वैलफेयर फण्ड (एमैण्डमैन्ट) बिल, 1982 लाई है, यह बहुत अच्छी बात है । डोलामाइट माइन्स में काम करने वाले मजदूरों का वैलफेयर करना सरकार का कर्तव्य है । सम्पूर्ण समाज का वैलफेयर करना हमारा आदर्श है । लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह सैस लगा कर जो फण्ड बनाया जाएगा जो भी एक्ट है, उनमें जो

भी प्रोविजन है क्या उनका इम्पलीमेंटेशन ठीक से होता है जैसे मिनिमम वैसेज एक्ट हीं है, वह लागू हुआ, उन पर भी लागू होता है । आप कहिए ईमानदारी के साथ कि जो आपका मिनिमम वैसेज एक्ट है 1948 का क्या उसके मुताबिक उनको वैसेज मिलती हैं ? उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो 50 हजार वरकर्स जो वहां सब शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं । ये वरकर्स जो वहां काम करते हैं तो आप बतायें कि अभी जो लीगल प्रोविजन है क्या उसका इम्पलीमेंटेशन होता है, मिनिमम वैसेज के बारे में ? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें झमेले हैं लेकिन जो सो काल्ड अच्छे माने जाते हैं कोयला खदान के मजदूर, उनके मुतलिक मैं बाद में पढ़कर सुनाऊंगा लेकिन उनके जो डिस्प्यूट हैं तो क्या एक्ट के मुताबिक उनका निपटारा होता है ? इम्पलाईज प्रोविडेंट फन्ड जो है आपका 1952 का, वह इन पर लागू होता है या नहीं होता है ? मेरी यह जानकारी है कि उन पर भी लागू होता है । लेकिन उसका ठीक से इम्पलीमेन्टेशन होता है क्या ? वर्कमैन कम्पंसेशन एक्ट जो है आपका उन पर भी लागू होता है यह मैं जानता हूं लेकिन क्या उसका इम्पलीमेन्टेशन होता है ? तो सवाल यह है उपसभाध्यक्ष महोदय कि फन्ड बनायेंगे, वैल-फेयर की बात करेंगे, दस साल के बाद आपकी नींद टूटी है, 1972 के एक्ट को 1982 में एमेंड करने जा रहे हैं । इन दस सालों के अन्दर इनकी हालत गई गुजरी थी लेकिन क्या इन एक्टों का कोई ठीक ढंग से इम्पलीमेंटेशन हुआ ? अगर होता तो हमें संतोष होता लेकिन यह हो नहीं पाया । उनकी हालत मोटे तौर पर सेमीस्लेव जिसको कहते हैं वैसी है वे लोग बांडेड लेबर, बंधुआ मजदूर के समान हैं, उनके समान आप उनको समझिए । उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है वे सेमी स्लेव की तरह हैं । थोड़ा मुझे भी देखने का मौका मिला है । उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है । इसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है ? आपके पास इस बारे में क्या योजना है ? क्या उनके घर की व्यवस्था के लिए इसमें कोई योजना है ? जितने मजदूर हैं उनके लिए हॉल, कामन रूम रहने के लिए आप बनाएं, इसका प्रोवीजन आप करिये । ड्रिंकिंग वाटर की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था जहां होनी चाहिए वहां इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए । उन इलाकों में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है । लेकिन इसमें प्रोवीजन नहीं है । उनके नाक में जो धूल चली जाती है उसके लिए आपने क्या उपाय किया है ? क्या इस तरह की व्यवस्था की है । कांट्रेक्ट लेबर की पद्धति अभी भी जारी है उससे वे मुक्त नहीं हुए है जब कि आपका आदर्श है कि कांट्रेक्ट लेबर को हम जारी नहीं रखेंगे । महिलायें जो वहां काम करती हैं उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? दवा के बारे मैं क्या प्रावधान है । फर्स्ट एड हो इसके लिये क्या प्राविजन आपका है ? दूर से वे लोग आते हैं काम करने के लिए तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बस की सवारी, कन्वेअन्स की क्या व्यवस्था है ? उपसभाध्यक्ष महोदय, फंड बनायें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो भी प्राविजन होते है उनका इम्प्लीमेंटेशन नही होता है । इस विधेयक में इंसपेक्टर को लेबर कमिश्नर बना दिया, इंद्र महाराज बना दो, विष्णु भगवान बना दो, इसमें क्या फर्क होने वाला है । इंसपेक्टर लेबर कमिश्नर अब कहलायेंगे । उनको एक नया खिताब मिल जायेगा, डेजिगनेशन मिल जायेगा और यह लेबर कमिश्नर हो जायेगा और उसकी तनख्वाह बढ़ जायेगी । लेकिन क्या आप यह भी देखेंगे कि कि वे ईमानदारी से स्पाट पर काम करते है या नहीं । लेबर कमिश्नर जो कि अब कमिश्नर हो जायेगा ईमानदारी से इनिसियेटिव लेकर काम करे और सब झगड़े निपट जायें और जो भी प्राविजन है उन प्रोविजन के मुताबिक उनके वेलफेयर और उनके कल्याण का काम होगा, क्या आप इसको भी देखेंगे । लेकिन यह कमिश्नर वगैरह जो होते हैं करते नहीं हैं क्योंकि इनका आउट-लुक ब्यूरोक्रेटिक होता है । मैंने कहा है कि इन लोगों का लाईम स्टोन वालों का जीवन बदतर है और नीचे के स्तर का है कोयला

[श्री शिव चन्द्र झा]

खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनका जीवन स्तर कुछ अच्छा है। वह भी वही है। झगराखांड एरिया कोयले की का मध्य प्रदेश में है वहां पर डिसप्यूट चल रहा है। हर तरह से मजदूर शोषित हो रहे हैं। उनको मजदूरी नहीं मिलती है। उसके मुताबिक एग्रीमेंट भी किया गया अप्रैल, 1982 में लेकिन उस एग्रीमेंट का अभी तक कोई इम्पलोमेंटशन नहीं हुआ। मिश्र जी खुद गये थे अब वे लेबर मैं हैं या नहीं वे खुद गये थे। वहां के जो मजदूरों के नेता हैं यमुना प्रसाद शास्त्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, उन्होंने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र भी लिखा 3-4-1982 को जिसको मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"आदरणीया प्रधान मंत्री जी,

मध्य प्रदेश में झगराखांड एरिया की कोयला खानें वेस्टर्न कोल फील्ड में स्थित हैं। वे खदानें अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। इन खदानों में मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसकी मिसाल समूचे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपकी सेवा में निम्नलिखित समस्यायें प्रस्तुत कर रहा हूं और अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें।"

[उपसभाध्यक्ष (श्री लाड ली मोहन निगम] पीठासीन हुए]

जो समस्यायें मैंने बताई हैं उनको दूर करें। आपका एग्रीमेंट हो गया है। यह जो खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं लेकिन जो लाइम स्टोन वाले मजदूर हैं इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिये। सवाल यह है कि आप एक्ट तो बना देंगे फंड बनायेंगे लेकिन आपकी जो मशीनरी है इम्प्लीमेंटेशन वह कौन सी है? मिनिमम वेजेज ऐक्ट, प्रोविडेंट फंड हो, चाहे कम्पनसेशन की बात हो, जैङ मैंने कहा कि यह लोग जो हैं इनकी मेजोरिटी है, यह बहुमत में हैं इन सब का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिये। आप नारा तो बहुत लगाते हैं कि वीकर सेक्शंस के लोगों की भलाई के लिए आप काम करेंगे तथाकथित बीस सूत्री कार्यक्रम में जो है उसमें जो ढोल पीटा जाता है वीकर सेक्शंस का। इससे भी क्या कोई और वीकर सेक्शन है? मगर मेरा कहना है कि इसके लिए आप एक प्लान बनाइये जिसमें 50 हजार मजदूरों का प्लान हो कि आप उनकी भलाई के लिये काम करेंगे। एक इमरजेंसी या क्रैश प्रोग्राम बनाएँ जिसमें पानी का, दवा का, सब सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए। यह सब बातें जो हैं इन के साथ साथ कंट्रेक्ट लेबर का खात्मा करें। यह आप सब लागू करें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं तो यह वैसे ही रह जायेगा और आपके जो लेबर कमिश्नर हैं वे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इन सब मजदूरों की भलाई के लिए यह बिल आया है मैं यह कहना चाहता हूं कि एक खास योजना आप वीकर सेक्शंस की भलाई के लिए बनावें, यदि सरकार वास्तव में इनकी भलाई चाहती है। जय प्रकाश नारायण कमेटी थी, सुचेता कृपलानी का रिकमेंडेशन था, जितने यह कोल बैल्ट के ट्राइबल एरियाज हैं इनमें वेलफेयर का काम हो सकता है, फुल इम्लायमेंट और रोजी का इन्तजाम हो सकता है, सब सुविधायें दी जा सकती हैं, सब काम हो सकता है उसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये। इसीलिए इन सब बातों की सफाई करें कम से कम जो कुछ अभी हैं उसको कह तक इम्पलीमेंट किया गया है। एडवाइजरी कमेटी जो होगी, फंड बनाएंगे उसकी बैठक ही नहीं होगी। जो अधिकारी वहां पर हैं आन दी स्पाट इन में आप जान लाइये। उनमें यह भावना लाइये। यह जो समाज सेवा के लिए वीकर सेक्शन के लिए यहां से ढोल पीटा जाता है बीस सूत्री कार्यक्रम में

[श्री रामानन्द यादव]

यह तो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है... **(व्यवधान)** आपको दिखाई नहीं पड़ता मंत्री जी यहां हैं। इतना जल्दी भूल जाते हैं, बनारसी चश्मा लगाइये... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : कह कर गये हैं दो मिनट के लिए।

श्री शिव चन्द्र झा : तो दो मिनट के लिए एडजर्न कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : काहे को कर दीजिए।

श्री शिव चन्द्र झा : कौन देखेगा, कौन सुनेगा.. **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): मंत्री जी नोट ले रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। **(व्यवधान)** आप लोग बैठ जाइये। चलिए पासवान जी।

श्री रामानन्द यादव : कहीं व्यवस्था नहीं है, एक मंत्री को रहना चाहिए।

श्री राम भगत पासवान: मैं कह रहा था कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है। कम मजदूरी से तो वे बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकते हैं ... **(व्यवधान)** सरकार ने यह प्रावधान किया है कि उनके बच्चों को स्टाइफड मिलेगा जिसमें 10, 20 और 30 रुपया है तथा अब अमेंडमेंट के अनुसार 75 रुपये भी किया गया है। फिर भी इस कम अमांऊट में कोई भी श्रमिक चाहे अपने बच्चों को शिक्षा देना तो वह 10, 20 या 75 रुपये में कैसे दे सकता है। कोई मजदूर चाहे टेक्निकल शिक्षा दिलाना, मेडिकल एजूकेशन या हायर एजूकेशन दिलाना तो वह नहीं दिला सकता। छात्रवृत्ति की जो रकम इसके लिए निर्धारित की गयी है वह बहुत ही कम है। कम से कम उनका अध्ययन का उचित खर्च मिले ताकि सभी श्रमिक अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके।

हाउसिंग का जहां तक प्रश्न है, 12-14 घंटे काम करने के बाद भी उनको आवास की सुविधा नहीं है। वे खुले आकाश में रहते हैं, उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने हाउसिंग के लिए छह सौ रुपये की सब्सिडी और नौ सौ रुपये की जो आपने इंट्रेस्ट फ्री लोन की भी व्यवस्था रखी है, वह टोटल मिला कर पन्द्रह सौ रुपया होता है। अब मंत्री महोदय जान सकते हैं कि आज तक पन्द्रह सौ रुपये में कौनसा मकान बन सकता है। मकान बनेगा तो क्या, जानवर के लिए पन्द्रह सौ रुपये में घर भी नहीं बन सकता। इसलिए सरकार के द्वारा यह रकम हटा कर कम से कम ऐसे मकान बनाने चाहिए जो पर्मनेन्ट तरीके से श्रमिकों के लिए हों और वह उसमें अच्छे तरीके से आराम कर सकें।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): पासवान जी, यह सरकार तो आपकी ही है।

श्री राम भगत पासवान : हमारी सरकार क्योंकि श्रमिकों के कल्याण की बातें लाई है, अच्छी व्यवस्था उसके द्वारा की गई है, मैं चाहता हूं कि इससे भी अच्छी व्यवस्था हो, ताकि श्रमिकों का अच्छे से अच्छा कल्याण हो। रामेश्वर सिंह जी ध्यान से सुनिये।

श्री रामेश्वर सिंह : यह सौ वर्ष में भी... **(व्यवधान)**

श्री राम भगत पासवान: तो इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ उसके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, मजदूर जहां भी दो सौ या चार हजार हैं, उनके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, रिक्रियेशन की व्यवस्था, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था मजदूरों के लिए होनी चाहिए। यह छुट-पुट लाया गया है। कहीं-कहीं ऐसे-ऐसे खान भी हैं जिनको छोड़ दिया गया है, जैसे सोपस्टोन। इसमें भी दस हजार वर्कर्ज काम कर रहे हैं। यह भी लाभान्वित हों, इनको भी इसमें इन्कलूड कर लिया जाए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके।

इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह खान जो है, लाइमस्टोन खान जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़,

बल्कि उन लोगों के लिए आप एक क्रैश प्रोग्राम बनावें । हम चाहते हैं कि दो साल के अन्दर उनको न मकान की दिक्कत हो, न दवाओं की कोई दिक्कत हो । यह कोई मुश्किल नहीं है । अभी जो आपका सेट-अप है जो जो हमारी हालत है न आपको वर्ल्ड बैंक से मांगना पड़ेगा और न और कहीं से अपने ही रिसोर्सिज से उनकी भलाई शुरू हो जाएगी. साकार रूप में इनकी लाई हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन चाहूंगा कि इन बातों में सिलेक्ट कमेटी में जा कर के थ्रेश आऊट कर के पास हो सकता है जो बातें अब छूट गई हैं उन पर भी सिलेक्ट कमेटी में जा कर के विचार हो सकता है वह सब बातें आ जायेंगी । यदि कोई नयी बात होगी तो वह भी आ जाएगी । दो तीन महीने में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है इसलिए मैं ने सुझाव दिया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें । मोटे तौर पर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम भगत पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री द्वारा चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है। वह श्रमिक जिसके ऊपर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया था, उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए यह विधेयक मंत्री महोदय द्वारा लाया गया है। यह निश्चय ही सराहनीय कदम है। इस वेल्फेयर फण्ड की जो स्थापना की गयी है यह श्रमिकों के हर कल्याण के लिये है। लेकिन यह फण्ड जो है वह वास्तव में श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है कि नहीं? अभी श्रमिकों से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। उनकी उचित मजदूरी की समस्या है, कांट्रेक्टरों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, आवास की असुविधाएं हैं और वेतन की गारण्टी का अभाव है। तो ये सब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण हो रहा है कि नहीं, इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। इस फण्ड के द्वारा कल्याण तो होगा, लेकिन यह भी शंका है कि बहुत सा ऐसा वेल्फेयर फण्ड है जिसका मिसयूज होता है। वास्तव में जिन के लिए फण्ड कायम किया जाता है उनको वास्तविकता में लाभ न पहुंच करके अफसरों को पहुंच जाता है, उसके इस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च हो जाता है। तो इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनके कल्याण के लिए आपने इस फण्ड की स्थापना की है उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। लेकिन अधिक से अधिक कैसे होगा? श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत होती है जिसका प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 10, 20 और 30 रुपये के क्राइटेरिया आपने रखे हैं... (**व्यवधान**)

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): श्रीमान्, कोई श्रम मंत्रालय का मंत्री यहां पर नहीं है और इस पर चर्चा चल रही है।

श्री रामानन्द यादव (बिहार): मंत्री जी बैठे हैं... (**व्यवधान**)

कोटा, ऊटी, और बिहार के पालामू जिले में, यहां पर मजदूरों के आवास के लिए कोई व्यवस्था नही की गई है और शिक्षा के लिए भी अभी तक जो भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन सब जगहों में जहां पर यह खान है, इन लोगों के लिये अधिक से अधिक आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, पेय जल की सुविधा हो, इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह वैलफेयर फण्ड की, जो सरकार ने इस विधेयक के द्वारा, स्थापना की गई है, और श्रमिकों का कल्याण चाह रही है, यह ठीक से उनको मिल रहा है या नहीं, इसके लिए वैलफेयर इंसपैक्टर और अफसर, खास करके देखें कि उनको इसका लाभ उचित रूप में मिल रहा है कि नहीं। उनको अधिकार देना चाहिए ताकि जो लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है, उस पर निगरानी रखें और उसमें जो त्रुटि हो, उसको सुधारने का प्रयत्न करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें जो को-आप्शन की व्यवस्था की गई है, तो यह एडवाइजरी कमेटी में-- जो एडवाइजरी कमेटी का निर्माण होना चाहिए मेम्बरशिप के आधार पर, उसमें मजदूरों का रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिए। हम देखते हैं कि इसमें अफसर हैं और वह विशेष रूप से मजदूरों के हित में कोई कार्य नहीं करते है। इसमें मजदूरों के रिप्रेजेन्टेटिव होने चाहिएं और मेम्बरशिप के आधार पर होना चाहिए और इसकी बैठक भी होनी चाहिए।

हम देखते हैं कि इस कमेटी की बैठक कभी होती ही नहीं है। तो जब तक कमेटी की बैठक नहीं होगी, तो मजदूर की जो समस्याएं हैं, उस पर विचार-विमर्श नहीं होगा और सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, तो कैसे कल्याण हो सकता है। इसलिए कमेटी की बैठक भी बराबर होती रहनी चाहिए।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी भी लाइमस्टोन में काम करने वाले बहुत से मजदूर हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और यद्यपि मुआवजे की व्यवस्था की गई है, इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है कि किस प्रकार की दुर्घटना के लिए कौनसा मुआवजा दिया जाता है। जो बिलकुल अपंग हो गये हैं, उसके लिए सरकार ने मुआवजा देने की क्या व्यवस्था की है? कम से कम हमारी मांग है कि जो बिल्कुल अपंग हो गये हैं, जो काम करने लायक नहीं हैं, कम से कम उनके बाल-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और इसके बाद उसके बच्चों की इंपलायमेंट की व्यवस्था, यह सरकार को करनी चाहिए और जिनकी सिम्पल इंजुरी हुई हो खान में काम करते हुए, उनकी दवा-दारू की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर जगह हर प्रकार की मजदूरी दी जाती है। आप कितना ही वैलफेयर फण्ड की स्थापना कीजिए, मजदूर के कल्याण के लिए सारी सुविधा कीजिए, लेकिन जो अफसर-शाही है, साथ-साथ कन्ट्रेक्टर सिस्टम है इस को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक मजदूरों का कल्याण नहीं होगा। कन्ट्रेक्टर मजदूरों का तीन प्रकार से शोषण करते हैं --- एक तो कम पैसा देकर अधिक पैसे पर सिगनेचर करवाना, जिस समय इच्छा हो छंटनी कर देना, मनमाने तरीके से मजदूरी देना। इस लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कन्ट्रेक्टर सिस्टम को खत्म कर दें, इस से मजदूरों का कल्याण होगा।

डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 58 हजार लेबरर इस से लाभान्वित होंगे, फिर भी बहुत सी ऐसी खानें हैं जो इस एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती, उन को भी लाभ पहुचें। फिर अनआर्गनाइज्ड लेबर है, उन के लिए कोई एक्ट नहीं है। इस लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप एक नेशनल वेज पालिसी कायम कर दें ताकि आठ घंटे काम करने वाले किसी भी मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए मिनिमम वेज के आधार पर ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो इन मजदूरों

[श्री राम भगत पासवान]

के लिए मांग की गयी है वह सभी के लिए हो इस के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं । और इन्हीं शब्दों के साथ आप के प्रति आभार प्रकट करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक इस विधेयक का सवाल है, मैं इसकी भावना का समर्थन करता हूं । लेकिन इसी के साथ साथ चूना पत्थर और डोलामाइट की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उन की ओर मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी भी ऐसे कई स्थान हैं जहां पर चूना पत्थर और डोलामाइट की खदानों में मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन के कल्याण के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला, जहां डोलामाइट की खदानों में काम अभी-अभी शुरू हुआ है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहां पर मजदूरी के लिए जो साधारण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वह भी नहीं है, न मकान का सवाल है, न पीने के पानी का सवाल है, न प्रकाश का सवाल है। सैकड़ों मजदूर खुले आसमान के नीचे रहते हैं। उन की महिलाएं दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी भर कर लाती हैं। सफाई-स्वच्छता का तो सवाल ही नहीं है। न दवाई का इन्तजाम है, न अस्पताल है । मिनिमम वेज भी प्राप्त होती है या नहीं यह भी कोई देखने वाला नहीं है। आप यह बिल लाये हैं, संशोधन लाये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत यह देखा जाना चाहिए कि जहां जहां पर डोलामाइट की खदानें हैं, चूना पत्थर की खदानें हैं और ठेके के आधार पर जो मजदूर काम करते हैं ठेकेदारों के यहां क्या उनको यह सुविधाएं उपलब्ध होती हैं या नहीं ।

दूसरी बात। जहां-जहां पूर्व में यह कानून काम कर रहा है, पहले से जहां डोलामाइट की खदानें हैं, चूना पत्थर की खदानें हैं वहां भी मजदूरों के लिए कुछ ही मकान हैं, सब श्रमिकों के लिए अभी भी मकान नहीं हैं। पीने का पानी अपर्याप्त है, अशुद्ध है। अभी कोयला खान की चर्चा हुई थी, झा साहब ने की थी । कोयला खदान इतना बड़ा उद्योग होने के बावजूद, लाखों की संख्या में जहां मजदूर काम करते हैं, वहां भी आज शुद्ध पानी मिलना सम्भव नहीं है। यही हाल चूना पत्थर और डोलामाइट की खदानों के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का है । वहां पानी की पूरी सुविधा नहीं है । शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । इस लिए पानी का कोई इंतजाम वहां है या नहीं इस को देखा जाना चाहिए।

आप ने श्रमिकों के कल्याण के लिए यह सेस लगाया है। वह कम है। लेकिन देखा जाना चाहिए कि जो पैसा इक्ट्ठा हुआ है वह क्या बैंक में ही जमा है या सरकार ने उस को अपने पास जमा कर रखा है या श्रमिकों के कल्याण पर भी वह खर्च हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण सामने आयें हैं कि जहां पैसा इक्ट्ठा किया गया है। श्रमिकों के कलयाण के नाम पर अभी भी वह पैसा जमा किया हुआ है और उन के कल्याण के लिए खर्च नहीं हो रहा है। उन के बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उन के स्कूलों का कोई इंतजाम नहीं है, उन के रहने के लिए मकान नहीं है, उन के लिए प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, उन की महिलाओं के लिए मैटरनिटी होम का कोई इंतजाम नहीं, उन के लिए दवांइयों की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप के अस्पताल हैं लेकिन उन में औषधियों नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं। वे लोग क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। चूना पत्थर और डोलामाइट की खदानों में काम करने वाले श्रमिक सब से पहले क्षय रोग से पीड़ित होते हैं। उन को सब से पहले टी. बी. का रोग होता है । लेकिन उन को टी. बी. की दवाई समय पर उपलब्ध नहीं होती। उन को डाक्टर समय पर उपलब्ध नहीं होता। पिछली बार मैंने कहा था कि सरगुजा की खदानों के लिए डाक्टर चाहिए तो बताया गया था कि वहां के लिए स्पेशलिस्ट डाक्टर की नियुक्ति की गयी है। लेकिन स्पेशलिस्ट डाक्टर की नियुक्ति

होने के बाद भी आज तक वहां कोई डाक्टर पहुंचा नहीं । इस तरह की अव्यवस्था कई बार कई जगहों पर देखने को मिलती है इस लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के बारे में वे विचार करें और वह कोई नीति बना कर, नियम बना कर उन का कड़ाई से पालन करायें ।

फिर इसी प्रकार इन खदानों में काम करने वाले अधिकांश लोग या तो आदिवासी हैं या गरीब तबके के लोग हैं। वह दूर दूर से आते हैं । या तो वह अपनी झोंपड़ी बना कर वहां रह जाते हैं और सारी गंदगी जिस को स्लम कहते हैं वहीं पैदा होनी शुरू हो जाती है, वहीं डवलप होने लगती है । अगर स्लम एरिया आप के वहां डवलप नहीं करना है तो या तो आप उनको पक्के मकान बना कर दीजिए या फिर वह व्हां से दूर रहें और उन को वहां तक लाने का आप कोई इंतजाम करें। अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि इन श्रमिकों के बच्चों को स्कूल तक ले जाने की भी कहीं कोई व्यवस्था की गयी हो या मजदूरों को वहां से खदानों तक आने के लिए कोई किसी प्रकार का इंतजाम किया गया हो। इस की कोई व्यवस्था नहीं है और एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि जहां जहां पर इन खदानों का क्षेत्र है, वे चाहे किसी भी प्रकार की खदानें हों वहां पर असमाजिक तत्वों का जमघट होने लगता है और शराब की दुकानें इस के लिए सब से ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में शराब की दुकानें या तो बिल्कुल ही न खोली जाएं और अगर उन को खोलना आप को जरूरी मालूम पड़ता हो तो उस की कोई सीमा निर्धारित की जाय क्योंकि एक तो श्रमिकों को वैसे ही पैसा कम मिलता है और दूसरे शराब की दुकान पास होने से वे उसे पी कर पैसा बर्बाद करते हैं और उस से उसका सारा परिवार उजड़ जाता है। तो मेरा आग्रह है कि इस संबंध में देखा जाना चाहिए कि ऐसी खदानों के क्षेत्रों में इस संबंध में कोई सीमा लगायी जाय और इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

फिर आप ने कल्याण आयुक्त नियुक्त किया है । वैलफेयर इन्सपेक्टर की जगह वैलफेयर कमिश्नर आप नियुक्त करने जा रहे हैं, या दोनों ही नियुक्त करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि वेलफेयर जो होगा वह मजदूर का होगा या उस अफसर का होगा। अभी तक तो स्थिति यह है कि वेलफेयर मजदूर का कम और अफसर का ज्यादा होता है। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार विचार करे कि सही मायनों में कल्याण श्रमिकों का होना चाहिए, मजदूरों का होना चाहिए। अगर श्रमिकों का कल्याण नहीं होना है तो आप यह कल्याण निधि क्यों लेने जा रहे हैं। यह तो ढोंग होगा। अफसरों की सुखसुविधा के लिए जो पैसा खर्च होता है वह तो श्रमिकों का कल्याण नहीं है, मजदूरों का कल्याण नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए और अभी तक जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पर कार्यवाही की जायेगी ? कई बार यह शिकायत हुई है कि श्रमिक कल्याण निधि का पैसा अफसरों की शान शौकत पर खर्च कर दिया गया, उन के रहन सहन पर खर्च कर दिया गया, उन के मकान बनाने के लिए या मकान में साधन जुटाने के लिए खर्च किया गया और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह कोयला खदानों में देखा जा सकता है। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में आप निश्चित रूप से कोई कार्यवाही के लिए कड़ाई से निर्देश दें और श्रमिकों के लिए इकट्ठा किया गया कल्याण निधि का पैसा उन पर ही उनके कल्याण के लिए ही खर्च होना चाहिए और वह किसी भी हालत में इकटठा होने के बाद संग्रह कर के न रखा जाए और वह उन के कल्याण के लिये ही खर्च होता जाय इस की योजना आप बनायें। ठेकेदारी पर काम करने वाले मजदूरों की भी समस्या है । उसके सम्बन्ध में भी आपको ध्यान देना होगा कि उनका शोषण न हो ।

[श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल]

आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने जो सलाहकार समिति बनाई है, बहुत से सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि सलाहकार समिति में मजदूरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह क्यों नहीं रखा गया है। क्या वह नजर अन्दाज हो गया है या जान-बूझकर मजदूर प्रतिनिधि को सलाहकार समिति में न रखने का सरकार ने फैसला किया है। यह उपेक्षा क्यों हुई, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों के प्रतिनिधित्व को भी समिति में रखना जरूरी है क्योंकि मजदूरों की समस्या और कोई नहीं बता सकता जितना मजदूर बतायेगा। इसलिए उस सलाहकार समिति में मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह मेरी मांग है।

इन सारे सुझावों के साथ सरकार इनको अपने विधेयक में सम्मिलित करे, ऐसा निवेदन कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामनरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि श्रमिकों के निचले तबके या अगर श्रमिकों में शूद्र कह लीजिए, उनकी तरफ इनका ध्यान पहली बार गया है। यही वह श्रमिक हैं जिनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनका अधिक से अधिक कल्याण करने की जरूरत है। उनको अधिक से अधिक सुविधाएं देने की जरूरत है।

अभी हमारे मित्र ने कहा कि यह अफसर कल्याण न होकर रह जाए। मैं इससे शत प्रतिशत सहमत हूं क्योंकि हमारे यहां सारा काम उल्टा होता है। माननीय के. एल. राव थे सिंचाई मंत्री। वह रूस गये थे। लौटकर उन्होंने एक बयान दिया कि रूस में जब बिजली का प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले प्लान्ट लगाया जाता है। अफसरों के रहने का जब इंतजाम किया जाता है तो लकड़ी के खम्बे लगाकर बिजली लगाई जाती है। और जब आमदनी होने लगती है तो लोहे के खम्बे लगते हैं और बंगला बनता है। हमारी सरकार ठीक उल्टा करती है। सबसे पहले अफसरों के लिए बिल्डिंग बनती है, लोहे के खम्बे लगते हैं, अन्त में लोहे या लकड़ी के खम्बे खड़े करके मशीनें लगाई जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या वही योजना इसमें भी है कि अफसरों की सुविधायें पहले की जाएं और उनके साज-सज्जा का सारा इन्तजाम पहले किया जाए, उसके साधन जुटाएं जाएं, बाकी जो बचा उस रूखे सूखे को इन मजदूरों को दिया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो आदतें बिगड़ी हुई हैं, इनमें भी उल्टा मत कीजिए।

दूसरी बात, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने बहुत से नाम गिना दिए हैं, लेकिन इसमें कोई सिलिका सैंड का भी नाम है? महोदय, सन् 1972 में यह एक्ट बना और उस समय या आज भी इस शासन का साफ्ट कार्नर है इलाहाबाद के सिलिका सैंड के खान के मालिक की तरफ। वह सिलिका सैंड की खान सरकार की होनी चाहिए थी, पता नहीं वह किसके हाथ में है। लेकिन जब यह एक्ट बना था तो उस खान का मालिक व्यक्तिगत राजा साहब थे, उसका प्रभाव केन्द्र सरकार में है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो उसकी है ही, तो सिलिका सैंड को न तो सरकार ने हाथ में लिया और न इस सिलिका सैंड का नाम इसमें है। पता नहीं मंत्री जी को याद है या नहीं, या कोई टेक्निकल नाम है इसमें। कृपया इसका स्पष्टीकरण करें क्योंकि जब माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं तो उनका जिला भी है और संयोगवश विषय भी उनका है। मैं जानना चाहता हूं कि वह सिलिका सैंड की खान किसके हाथ में है। अगर किसी के भी हाथ में हो तो उसके मजदूरों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। अगर उन मजदूरों को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं और या तो आप उस जीव के डर से या सरकार के डर से

किसी की मोहब्बत से इसको छोड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आपका जो बालू, डोलोमाइट और दूसरी किस्म की खानें हैं उसमें सिलिका सेंड को भी जोड़ दीजिए। उसको अगर अभी तक नहीं जोड़ा है, उसको हाथ में ले लीजिए, क्यों उसको छोड़ रखा है। और श्रमिकों के कल्याण के लिए जो करना चाहें करें, अधिक से अधिक करें। इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra) : The Bill which has been brought in the House today, Mr. Vice-Chairman, Sir, does not really go a long way to solve the problem of labour welfare. Sir, even after so many years of the implementation of labour policy, Government has not framed any guidelines or any welfare policy with regard to the welfare of workers. Sir, it is contemplated that the welfare will include medical care, housing, education, water supply and recreation. As regards recreation, it is said that in our country sports has got the lowest priority in planning and four paise per head is spent in our country on promotion of sports. That is the finding of all India Council of Sports. What is the Government policy in this matter? Are they having any planning for the welfare of all workers or just to collect some cess and give them some benefits of housing facilities? And what is the housing facility? Workers are demanding that they should be able to own houses. Has the Welfare Department taken any steps? Industrial workers all over the country want that Government should build, and workers own houses and not live in rented premises after they retire. If they have a plan for the workers to own houses, money will come back and we can build more houses, Sir, in that context we have miserably failed. In this conection, I would like to know from the Minister what is the number of workers. Figures have been given that 56000 workers were already covered by limestone and dolomite and about 5000 more workers will come up. Thus the figure will be about 60,000 to 61,000 workers. They do not have a programme for housing. Secondly, what are the educational facilities contemplated for them? Is it for their educational scholarships or providing schools? We are planning that villages must have drinking water facilities and there is a definite plan of achievement per year. But so far as the mining workers are concerned, the Welfare Department has no planning at all for the workers, so far as the drinking water facilities are concerned. Unless you have got a policy and decide about a programme, you will not be able to raise resources. Unless you know what expenditure is required in the next five years of the Plan in which every worker should own a house and having drinking water facilities, you cannot decide what should be the cess. Even though the provision is there for one rupee charge you can have on a metric tonne, up till now 20 paise you are charging. Why was it not raised to Re. 1 earlier ? How will you raise the resources? Just as in the case of Provident Fund where the employers are required to give their contribution, why do they not give equal contribution to the welfare fund of the workers ? But cess is such that it has a low priority. With 20 paise, Mr. Minister, do you expect that you can have labour welfare ? And what are the ruling prices of the minerals ? In 1971, the price was Rs. 114, and in 1981 it was Rs. 1216—the prices have gone up by ten times. So far as the welfare amount is concerned, you have not made it even five times. One rupee is a very small amount. Even the subscription for trade unions is Rs. 2.

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

Secondly, Sir, I could not understand why it is necessary to come before the House everytime. Now, it is for inclusion in the limestone certain categories. My friend has just now mentioned that if silica-sand and other minerals are not covered here, they would not get the benefit. Under the Minimum Wages Act, there is a provision that by notification the Government can extend the Act in the Schedule of employment. Under the Welfare Act also, there should be a provision that by notification you will be able to extend the provisions of the Act. And it is not necessary to come before the House every time for getting an amendment to the definition of limestone. Otherwise, such anomalies remain and it is not possible to cover every type of minerals under the Act. And then every time the delay takes place. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is to bring forward a comprehensive Bill and to take powrs so that by notification itself they can extend the Act.

Sir, two principles which have been involved in this Bill are dangerous. When the inspectors job is to inspect, why does it become necessary for the Labour Welfare Commission to go for inspections? Is it because you have got inadequate staff ? Then you appoint more inspectors. It is not the job of the highest authority, the Labour Welfare Commissioner to go for inspection. Then he will make only TA and DA and the inspectors will not be allowed to go for inspections. It is absolutely against the principle which we evolved for the labour welfare and administration of labour welfare fund. It is a retrogressive provision. Then, Sir, something strange has been added in clause 5, Section 7A: "An Advisory Committee or the Central Advisory Committee may, at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons to the Committee." No qualifications are prescribed. I can understand the representation of the employers and the employees. The complaint is not that the labour is not represented. The complaint is that the labour reperesentatives should be properly elected by the workers. Their real representatives should be there on the Advisory Board. Here, any person, any political person or persons can be appointed and no qualifications are necessary. There is no question of any assurance by the Minister. His assurance will not be kept up by his successors. Therefore, Clause 5, Section 7A is a radical departure from the tripartite nature of the welfare advisory committees that are functioning in our country. And this provision certainly cannot be accepted. You say 'any person or persons'. How many ? If there are representatives of six from the employers and six from the employees, you add three or four more and make it a majority. The very scheme is that it should be a balanced committee. I do not understand the purpose of this clause. And the only rider they have said is that these persons shall not be entitled to vote. When the Government nominees are there, they are bound to influenee the decision-making power of the committee and the very concept of labour and employees coming together in the matter of management has been given a good-bye. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he has got any idea of the extent of the problem. My friends have stated that there are no proper housing facilities, medical facilities and other benefits. It is not only under the Central Government but in my State it is run by the Maharashtra State Mining Corporation. In the Vidharbha area there are large areas where there are limestone and dolomite mines where the workers have not even

got the safety measures. The DGMS is not taking steps in this direction and the Mining Officer at the Bhandara mines is not a qualified first class engineer which is required under the Mines Act. But because there is a State Miring Corporation and the DGMS being under the Central Act, they are not taking steps for the safety of workers and so many accidents are taking place not only in Nagpur but in other places and Sholapur. If the employer is a State sector organisation what steps is the Government taking for the enforcement of labour welfare measures by the State Mining Corporations. I know that today's position is that in every State they have got the State Mining Corporations, apart from the Central Mining Corporation. Therefore, how are they going to cover the State Mining Corportions under this Act and how are the welfare measures going to be given effect to?

Last, but not the least, it is very unfortunate that the Government is adding and multiplying the expenditure. There are separate welfare commissioners' boards for mica, for manganese, for coal, etc. The officers are multiplying. Why is it not possible to have one single agency for all these? Such a small context amount is there. If you have got a single welfare commissioners' agency to administer all the mines, not only will the resources be pooled together but it will also reduce the number of officers who are employed on all these different agencies. I would like to know from the Minister what is the percentage of expenditure incurred on the administrative side on these welfare boards and what is the total income from the welfare cess. Lastly, Sir, if you really think that you are working for the welfare of the workers and welfare cess is collected for them, why should not the Government spend on the officers? It should be expenditure charged on the Labour department. Why should the money be spent out of the welfare cess for the appointment of inspectors and commissioners. Therefore, if the Government accepts the responsibility of the welfare of labour they should themselves bear the expenditure of the welfare commissioner and inspectors so that the welfare cess is fully utilised for the objectives for which it is being collected. Then, Sir, twenty paise is a rediculous charge. You must at least have one rupee provided by the Act itself. The maximum is at least up to one rupee. You can raise this amount so that the welfare fund is properly available for the welfare activities of the workers. Under these circumstances it is not possible for me to support the Bill fully.

श्री धर्मवीर: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने माइंस लेबर के कल्याण के संबंध में लाये हुए विधेयक पर बड़े विस्तार से चर्चायें की हैं और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उन सुझावों को हमने बहुत गम्भीरता से लिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, जैसा इस विधेयक में स्पष्ट है कि लाइम स्टोन और डोलोमाइट के अन्दर चूंकि कुछ ऐसे कलकेरियस डिपोजिट्स थे जो उसके अन्दर मजदूर काम करते थे, उनको जो श्रमिक कल्याण निधि से सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती थी और जिस कारण कुछ लोग कोर्ट में चले गये थे। इसलिए इस विधेयक के जरिये उसकी परिधि की सीमा को बढ़ाया गया है ताकि उसमें जो लगभग 5 हजार मजदूर इससे वंचित रह जाते थे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें।

5 P.M.

जहां तक इन श्रमिकों के कल्याण के विषय में आपने जो सुझाव दिये हैं लगभग सभी सम्मानित सदस्यों के सुझाव एक से ही हैं। माननीय जोसेफ साहब ने, माननीय श्री शिव चन्द्र झा जी ने, श्री खंडेलवाल जी ने, श्री राम नरेश कुशवाहा जी ने, राम लखन गुप्ता जी ने और धाबे जी ने, इधर से हमारे

[श्री धर्मवीर]

श्री रामानन्द यादव जी ने और श्री राम भगत पासवान जी ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं इन श्रमिकों के कल्याण के बारे में, जो श्रमिक निधि है उसका पूरा उपयोग नहीं होता । इस बारे में उन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस फंड के द्वारा सिर्फ श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं ही लागू की जाती हैं । श्रमिकों के कल्याण की, उनकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी माइन आनर्स की होती है ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : What is the administrative expenditure, percentage, which is incurred from out of this Fund ?

श्री धर्मवीर: लेकिन सरकार ने भी अपना एक दायित्व समझा कि श्रमिकों के कल्याण के बारे में कोई अपनी तरफ से भी कुछ किया जाए क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेबर वेलफेयर सेस की स्थापना की गई है । इसके अन्तर्गत जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं वह मैं आपको बता दूं । जैसे कि माननीय सदस्यों ने बताया है उनको आवास की सुविधा, उनको शिक्षा की सुविधा, उनको स्वास्थ्य की सुविधा, उनको पानी की सुविधा, मनोरंजन की सुविधाएं, उनको उपलब्ध हो सकेंगी इसके बारे में यह कल्याण निधि का जो धन है इसका उपयोग किया जाता है । सारे देश के इन श्रमिकों के कल्याण के लिए पांच रीजन बनाए गये हैं जिसमें इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा (राजस्थान), भुवनेश्वर (उड़ीसा) और जबलपुर (मध्य प्रदेश) हैं। जहां-जहां अधिकतर यह खानें पाई जाती हैं वहां-वहां पर इन सुविधाओं के लिए यह हमारे वेलफेयर कमिश्नर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है । वहां पर सारी योजनाएं लागू होती हैं । जहां तक उनका स्वास्थ्य का प्रश्न है, मान्यवर स्वास्थय सम्बन्धी देखरेख का जहां तक प्रश्न है इस प्रकार कई डिसपेंसरियां पूरे देश में हैं। आपके उत्तर प्रदेश में देहरादून में मोबाइल डिसपेन्सरी है । इस प्रकार से मिरजापुर में है, उधर रोहतास में है, भवनाथपुर डिस्ट्रिक्ट पलमाऊ में है, जिसके बारे में हमारे राम भगत पासवान जी ने विजिट किया । इसी प्रकार भीलवाड़ा, राजस्थान में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जूना गढ़ इसके इलावा राजस्थान में कोटा और संतलखेडी. इत्यादि में भी यह स्वास्थ्य सुविधाएं हैं । साथ ही साथ नागपुर में भी है । मेरे पास डिटेल बहुत ज्यादा है जिसमें हर जगह स्वास्थ्य की देखरेख के लिए व्यवस्था है . . .

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): नागपुर में ?

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर: डिस्ट्रिक नागपुर में नहीं है । इसी प्रकार जहां तक उनका प्रश्न है, नागपुर की आप रहने वाली हैं, स्वंय जानती होंगी कि वहां पर है कि नहीं । जहां तक उनकी शिक्षा की सुविधा का प्रश्न है हम उनको प्रोत्साहन के लिए प्रतिमास 10 रूपये से ले कर 75 रूपये तक की छात्रवृति का प्रबन्ध करते हैं, ताकि श्रमिकों के बच्चे जो हैं वे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके इलावा जहां तक पानी की सुविधा का प्रश्न है उसके लिए हमारी इस वक्त जो 13 मौजूदा योजनाएं हैं उनके इलावा भी हम काम कर रहे हैं। इनमें जबलपुर में 3, इलाहाबाद में एक, बंगलौर में 3, उड़ीसा में 6 और इस प्रकार पीने के पानी की सुविधाएं देने के लिए ट्यूबवेल्ज का निर्माण हो रहा है । हम प्रयत्नशील हैं कि उनको पानी की कठिनाई न हो सके ।

जहां तक रहने की, आवास की सुविधा है, माननीय सदस्यों में यह हो सकता है कि इस बात का दुख हो कि हम सबको तो मकान की सुविधा नहीं दे पाये हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक उनको सुविधा मिल सके और इसके लिए हमने बिल्ट युअर ओन होम के अंतर्गत उनको सबसिडी देते हैं 15 सौ रूपये की, अगर उनके पास अपना धन या जमीन हो तो वह उस सबसिडी को मिला करके अपना मकान बना सकते हैं . . **(व्यवधान)**

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: 15 सौ रुपये तो बहुत कम होते हैं आज की स्थिति में । वास्तव में 15 सौ में तो बंगलों में पर्दे भी नहीं आते हैं । इस 15 सौ को और बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री धर्मवीर: मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जो सुविधाएं हैं वह अपर्याप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी लिए मान्यवर, मैंने कहा कि यह जो कमेटी बनायी गयी है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया कि सात आठ साल बाद अब कमेटी बुलायी गयी है। पिछले जनवरी 82 में इसकी कमेटी बुलाई गयी थी और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले 8 नवम्बर को मैंने इसकी मीटिंग बुलाई है और मैं चाहूंगा कि जितने माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं यहां व्यक्त की हैं, सुझाव दिये हैं उनको देखते हुए, उस कमेटी के माध्यम से अधिक तेजी के साथ श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके।

श्री श्रीधर वासुदेव धावे: कितने मकान बने हैं यह तो बता दीजिए।

श्री धर्मवीर: इस वक्त मेरे पास इसका डीटेल नहीं है कि कितने मकान बने हैं। लेकिन जो नीति है उस नीति के अनुसार हमने आपको बता दिया कि हम 75 प्रतिशत सहायता एक तरह से देते हैं, दूसरा सब्सिडी के रूप में 15 सौ रुपये देते हैं। यह इस प्रकार प्रोत्साहन स्वरूप उनको दे रहे हैं। कितने मकान बने हैं इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी करा दूंगा।

साथ ही साथ कुछ माननीय सदस्यों ने मनोरंजन के बारे में कहा। मनोरंजन के बारे में हम जानते हैं कि जीवन का यह अनिवार्य अंग है। इसमें भी श्रमिकों के मनोरंजन के लिए मोबाइल सिनेमा यूनिट की व्यवस्था की गयी है। श्रीमन्, जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि जबलपुर में एक है, भुवनेश्वर में एक, इलाहाबाद रीजन में चार बंगलौर में तीन है। इसी प्रकार पुरी और उड़ीसा आदि में हालीडे होम्स बनाये गये हैं जहां कि श्रमिक जाकर ठहर सकते हैं . . . (व्यवधान)

श्री श्रीधर वासुदेव धावे: महाराष्ट्र में एक भी नहीं है।

श्री धर्मवीर: इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि न हो . . . (व्यवधान) दूसरी तरफ माननीय सदस्य श्री शिव चन्द्र झा और धावे जी ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि 25 पैसा रेट बहुत कम है। उनकी जो शंका है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक निश्चित नीति के आधार पर इन पर सेस लागू किया जाता है। लेकिन इस रेट को रिवाइज करने के लिए हम अलग से आपके पास आयेंगे कि इसके रेट को इतना रिवाइज किया जाय। क्योंकि एक जगह लगने के बाद तमाम और जो खानों में सेस लगाया जाता है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सब के बारे में आज बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए इसके रेट को बढ़ाने के विषय पर एक कमेटी द्वारा विचार करने के बाद शासन कोई प्रस्ताव आपके सामने लायेगा, अगर वह हमारी नीति के अन्दर आ जाता है ताकि और जितनी यूनिट्स हैं और जितनी माइंस हैं उन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके।

श्री शिव चन्द्र झा जी ने तमाम जो मजदूरों के श्रमिकों के कल्याण के नियम हैं कानून हैं उन पर शंका की कि वे लागू होते हैं कि नहीं हैं तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नियमों का इम्पलीमेंन्टेशन करने का बहुत बड़ा दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। राज्य सरकारों के माध्यम से हम उनको लागू कर पाते हैं। जहां तक एक माननीय सदस्य ने बात कही थी कि प्राविडेंट फण्ड का नियम उन पर लागू है कि नहीं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्राविडेंट फण्ड का प्रावधान इन श्रेणियों के लिए है। यह उन पर अप्लीकेबल होता है। अब वह इम्पलीमेन्ट हो रहा है कि नहीं इसके लिए जैसा मैंने कहा कि वह एक दूसरा विषय है जिस पर फिर से विचार करेंगी। लेकिन यह नियम उन पर भी लागू होता है। . . . (व्यवधान) वह सारा एक्ट है। जहां तक इसके एकाउंटस के आडिट का प्रश्न है, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा और मैं कहना चाहता हूं कि यह बैंक ड्राफ्ट के रूप में वैलफेयर कमिश्नर, वैलफेयर डिपार्टमेंट को तुरन्त ट्रांसफर हो जाता है और इसके बाद उसके एक-एक पैसे का आडिए जो फाइनेंशल डिसिपलिन के अन्दर जो चीजें आती हैं, उसके अन्दर

[श्री धर्मवीर]

होता है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

अब टी. बी. अस्पताल के लिए मेरे पास फिगर्ज नहीं, पर हमारी 839 डिसपेन्सरीज हैं और जिस मजदूर को टी. बी. का रोग हो जाता है, उनके लिए टी. बी. अस्पताल में बेड्स रिजर्व कर रखे हैं और जितने भी मजदूर जिनको तपेदिक की बीमारी होती है, उनकी चिकित्सा के लिए हम व्यवस्था करा देते हैं।

एक माननीय सदस्य: पूरी सुविधा उनके लिए ...

श्री धर्मवीर: हां, पूरी सुविधा उनको दी जाती है।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : I wanted to know about co-option.

श्री धर्मवीर: जहां तक को आप्शन सब कमेटी का सम्बन्ध है, श्रीमन्, इसमें दो प्रकार की कमेटियां होती हैं, एक तो केन्द्र की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी और दूसरी राज्य सरकारों की एडवाइजरी कमेटी होती है और जिस प्रकार से अन्य माइंस की वैलफेयर कमेटीज बनी हैं, माइका माइंस के तमाम, उनमें बराबर इनका प्रतिनिधित्व रहता है। ऐसा नहीं है कि इनमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। जैसा कि ट्रिपार्टाइट कमेटीज आपने कहा, जिस प्रकार अन्य कमेटियां हैं, उसी प्रकार से इन कमेटियों की भी रचना की जाती है और विशेष जो लोगों को को-आप्ट करने का अधिकार दे रहे हैं...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : That is, any person can be co-opted ?

श्री धर्मवीर: लेकिन ऐसा है कि एनी पर्सन के मतलब यह नहीं कि रास्ते चलते किसी पर्सन को को-आप्ट कर लें, लेकिन हमारा जो मंशा है, जो अन्य कमेटियों में भी है –

any person can be co-opted

लेकिन को-आप्ट उन्हीं को किया जाता है, जो उस विषय में दिलचस्पी रखते हों, या उस विषय के एक्सपर्ट्स हों, या जानकारी रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही को-आप्ट करते हैं और अगर ऐसे कोई सदस्य हैं जो हमारे ध्यान में लाइये क्योंकि जितनी और कमेटीज हैं, वह सारी मजदूरों के एक्सपर्टीज के भी इसमें मेम्बर्स होते हैं।

इसी प्रकार, श्रीमन्, मैंने प्रयास किया है कि सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, या जो अपने विचार दिए गये हैं, उन को मैं सन्तुष्ट करने के लिए उत्तर दे सकूं और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है, उनके सुझावों को हमने बड़ी गम्भीरता से लिया है और मैं उनके साथ सहयोग करता हूं कि श्रमिकों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, वह और अधिक प्रभावकारी ढ़ग से लागू होनी चाहिए ताकि जो श्रमिक खानों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, चिकित्सा की सुविधा अच्छी हो, उनके रहन-सहन की व्यवस्था भी अच्छी हो, इस बारे में हम सतर्कशील हैं।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का समय-समय पर इस प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा, तो हम निश्चित रूप से श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय झा जी से निवेदन करूंगा -- क्योंकि वे जानते हैं कि इस बिल को लाने में काफी विलम्ब हो चुका है और लोक सभा ने इसको पारित कर दिया है, तो वह अपने सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव को वापिस ले लें। हमने उनके सुझाव को बड़ी गम्भीरता से लिया है और उस पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। आपको विश्वास में लेते हुए, उन भावनाओं का आदर करते हुए कि सब श्रमिकों का कल्याण हो, मैं चाहूंगा कि वह इस संशोधन को वापिस ले लें और इस बिल को जिस प्रकार से सामूहिक रूप से सभी ने इसका स्वागत किया है, इसका स्वागत करें।

श्री राम नरेश कुशवाहा: श्रीमन्, मैंने सिलिका सैंड के बारे में कहा था।

श्री धर्मवीर: माननीय श्री कुशवाहा जी ने सिलिका सैंड के बारे में कहा था। सिलिका

सैंड, या जो माइंस से आइटम्स निकलते हैं, उनको हम माइंस एक्सपर्ट के पास भेजते हैं और अगर वह सर्टिफाई कर देते हैं कि हां यह इसके अन्तर्गत आता है, तभी लेते हैं। सिलिका सैंड अभी इसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें कैलकेरियस डिपाजिट होना आवश्यक है, जोकि लाइमसटोन के लिए एक आवश्यक तत्व है, अगर कैलकेरियस डिपाजिट उसमें नहीं मिलता, तो वह नहीं आ सकता।

लेकिन इसके लिए हम माइंस ब्यूरो को लिखेंगे कि सिलिका सैंड के लिए अपनी राय दें। अगर उसमें कैलकेरियस डिपाजिट हैं, तो उसको लेने में हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राम नरेश कुशवाहा: क्या वजह है कि सारी खानों को ले लिया और इलाहाबाद का सिलिका सैंड रह गया?

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उसके बारे में क्यों इतना प्रेम दर्शा रहे हैं?

श्री धर्मवीर: मैंने कहा कि अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि उसमें कैलकेरियस डिपाजिट है कि नहीं। यह उसमें एक प्रकार से शर्त है कि यदि कैलकेरियस डिपाजिट पाए जायेंगे, तभी इसमें आ पायेंगे।

मैंने आपको बताया है कि इसके लिए माइन्स ब्यूरो को लिखा जायेगा कि वे फिर से जांच करें। अगर उस में कैलकेरियस डिपोजिट पाया जायेगा तो उस को ले लिया जाएगा।

श्री राम नरेश कुशवाहा: वह कब तक होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): अब मैं श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन पर मत ले रहा हूं।

श्री शिव चन्द्र झा: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह भी हमारे साथ में है। मंत्री महोदय ने बहुत आश्वासन दिए हैं, दिल से दिए हैं, इस लिए मैं इस को विदड्रा करता हूं।

श्री धर्मवीर: मैं शिव चन्द्र झा जी का आभारी हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI MOHAN NIGAM): The question is :

"That leaves be granted to the Mover to withdraw his amendment."

The motion was adopted.

**The amendment was, by leave, withdrawn*

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): अब मैं श्री धर्मावीर जी के प्रस्ताव को मत के लिए रख रहा हूं।

The question is :

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): अब मैं इस बिल पर धारावार मत लेना चाहता हूं —

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री धर्मवीर: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

---

*For the text of the amendment, *vide* cols. 254 supra.